भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 2912
मार्च 10, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: फसल खरीद प्रणाली

2912. श्रीमती रुचि वीराः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले, विशेषकर बिलारी और संभल तथा कुंदरकी क्षेत्र की सीमा से लगे गांवों के लघु किसानों के मामले में फसल खरीद प्रणाली की प्रभावशीलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने और बाजार संपर्क तंत्र की समीक्षा की है, जहाँ खरीद केंद्रों की सीमित संख्या, भुगतान में देरी, बढ़ती इनपुट लागत और निजी व्यापारियों पर निर्भरता के कारण किसानों की सौदेबाजी की शक्ति और लाभप्रदता प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो जिले में किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने, खरीद बुनियादी ढांचे के विस्तार, डिजिटल बाजार एकीकरण, किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने और भुगतान की समय-सीमा का पालन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुरादाबाद जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों की खरीद सरकार के खरीद मानदंडों के अनुसार की जा रही है। राज्य सरकार सुनिश्चित करती है कि किसानों को खाद्य विभाग, प्रादेशिक कोपरेटिव फेडरेशन (पीसीएफ), उत्तर प्रदेश कोपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पीसीयू), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड (यूपीएसएस), राष्ट्रीय कृषि कोपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (नेफेड), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और अन्य अनुमोदित खरीद एजेंसियों के माध्यम से उनकी उपज का एमएसपी प्राप्त हो। एजेंसियों द्वारा फसलों की खरीद के लिए खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। खरीद केंद्रों का निर्धारण स्थानीय उत्पादन, किसानों की सुविधा, भौगोलिक स्थितियों और अन्य प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ताकि बिलारी, कुंदरकी और संभल जैसे आसपास के क्षेत्रों के किसान भी अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकें।

किसानों का पंजीकरण और खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है और बेची गई उपज का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होती है।

किसानों के लिए विपणन व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों के पंजीकरण को बढ़ाने के लिए जन सूचनाएँ जारी की गई हैं ताकि किसान अपनी फसलें एमएसपी पर बेच सकें। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया गया है और कृषि विभाग द्वारा किसानों को संदेश भी भेजे गए हैं। तहसील दिवस, जिला प्रशासन और बाजार समितियों के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया गया है ताकि अपनी फसल बेचने के इच्छुक किसान एमएसपी का लाभ प्राप्त कर सकें।

***